96

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 96वीं बैठक

दिनांक

27 नवम्बर, 2019

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 96वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 96वीं बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को शाम 4.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. आर.पी. सिंह कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. नगेन्द्र सिंह (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3. प्रो. शिव दयाल सिंह (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4. प्रो. सुब्रतो दत्ता (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
5. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
6. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी, विधायक (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
7. श्रीमती मंजू देवी, विधायिका (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
8. मोहम्मद नईम (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	सदस्य
9. कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक में निम्नलिखित अनुपस्थित रहे :

1. डॉ.(श्रीमती) सीमा पाण्डे (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
2. संभागीय आयुक्त (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
3. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
4. निदेशक, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा	सदस्य

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की 94 वीं बैठक दिनांक 30.06.2018 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (94) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2018/15983-92 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि जो एफ0डी0आर0 प्राईवेअ बैंकों में की गई हैं उन सभी खातों (पीटीईटी सहित) की एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंकों में उच्चतम दर पर निवेश की जायें। उक्त कार्य की निगरानी हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-** **1. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी, संयोजक** **2. प्रो. शिव दयाल सिंह** **3. श्री के.सी. टेलर**	
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की 95 वीं बैठक दिनांक 23.08.18 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 3	विद्या परिषद् की 59वीं बैठक दिनांक 11.10.2019 के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**कार्यवृत्त का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि मद संख्या 17 के अन्तर्गत क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर के बी.ए. बी.एड/बी.एसी बी.एड. तथा एम.एड. पाठ्यक्रमों में Semester (CBCS) Choice Based Credit System सत्र 2020-21 से लागू किया जाय ।**	
मद सं. 4	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1(4) शिक्षा 4/2016/ दिनांक 01-10-2018 की अनुपालना में राजस्थान पुनरीक्षित (यू.जी.सी.) वेतनमान नियम 2018 के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षक (प्रोफेसर, एसोसिएट	**संस्थापन**

	प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर), पुस्तकालयाध्यक्ष, उप/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डायरेक्टर, फिजिकल एज्यूकेशन, उप एवं सहायक निदेशक, फिजिकल एज्यूकेशन के वर्तमान वेतनमान को राजस्थान पुनरीक्षित (यू.जी.सी.) वेतनमान नियम 2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार वेतनमान संशोधित करते हुये प्रवृत्त मान्य किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)** संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(4)/शिक्षा-4/2016 दिनांक 22-02-2019 राजस्थान पुनरीक्षित (यू.जी.सी.) वेतनमान नियम 2018 के अनुसार कार्यरत शिक्षकों, लाईब्रेरियन व पी.टी.आई. को एच.आर.ए एवं सी.सी.ए का भुगतान दिनांक 01-10-2017 किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)**	
निर्णय	**अनुमोदन किया गया साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए भी इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।**	
मद सं. 5	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-** (1) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी की उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 के प्रावधानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 5 जुलाई, 2016 की प्रतिस्थापना एवं कुलपति समन्वय समिति से प्राप्त निर्देशिका की पालना के तहत गठित की गई समिति की अनुशंषाओं को माननीय कुलपति महोदय ने स्वीकार करते हुए तथा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) में उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र 2018-19 से अनुशंषित अध्यादेश 124 को प्रवृत्त किया है । तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15/शोध/मदसविवि/73714 दिनांक 28.12.2018 के संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार अध्यादेश अधिसूचित किया गया है । माननीय के आदेश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)**	**उपाधि**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(2) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** राजस्थान सिविल सर्विसेज पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 Grant of Assured Career Progression के क्रम में राज्य सरकार द्वारा	**संस्थापन**

	जारी पत्रांक F.14(88)FD/Rules/2008-I, II जयपुर दिनांक 01-06-2017, No.-F.14(88)FD/Rules/2008-I, II जयपुर दिनांक 06-10-2015 एवं No.-F.14(88)FD (Rules)/2008-I, II जयपुर दिनांक 31-12-2009 में वर्णित प्रावधानों एवं संशोधनों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 18-06-2018 के आदेशों की अनुपालना में अधिसूचना क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/2019/15828 दिनांक 19.10.2019 जारी की गई। माननीय कुलपति महोदय के आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत हैं। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 24-04-2018 के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/ मदसविवि/2018/19960 दिनांक 17-05-2018 जारी किया गया जिसके अंतर्गत प्रोफेसर भरतराम कुम्हार, सदस्य प्रबंध बोर्ड के संयोजकत्व में गठित कमेटी में श्री एस0 एन0 शर्मा (सेवानिवृत अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। माननीय कुलपति महोदय के आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई। अब इस संबंध में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-** **1. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ संयोजक** **2. प्रो. मनोज कुमार सदस्य** **3. उप कुलसचिव (संस्थापन) सदस्य-सचिव**	
	(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट का डीन समिति एवं माननीय प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के द्वारा सर्कुलेशन के आधार पर अनुमोदन की पुष्टि करना । **<u>स्पष्टीकरण</u>:-** विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38(4) के प्रावधानान्तर्गत एवं प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को आयोजित बैठक के मद संख्या 4(3) के तहत प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा **"भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन समय से तैयार कर प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करावें यदि निकट भविष्य में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक नहीं होनी हो तो सर्कुलेशन के आधार पर कार्यवाही**	**सामान्य प्रशासन**

	कर राज्य सरकार को भिजवावे" का निर्णय लिया गया है। अतः प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय की अनुपालना में वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 के प्रारूप का डीन समिति के अनुमोदन दिनांक 30.03.2019 पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड की बैठक निकट भविष्य में आयोजित नहीं होने एवं यथा समय बजट सत्र में विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को भिजवाने से पूर्व समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 के प्रारूप की प्रति स्पीड पोस्ट द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों को इस निवेदन के साथ प्रेषित की गई कि यदि कोई संशोधन किया जाना प्रस्तावित है तो सात दिवस में कुलसचिव को भिजवाने का श्रम करें। साथ ही पांच प्रतियां माननीय मंत्री महोदया, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, के अनुमोदनार्थ भी प्रेषित की गई। निर्धारित अवधि में माननीय सदस्यों से प्राप्त आंशिक संशोधन कर माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार के अनुमोदन पश्चात् 325 प्रतियां (मय पैन ड्राईव) विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को दिनांक 29.06.2019 को प्रेषित कर दी गई। अतः डीन समिति द्वारा दिनांक 30.03.2019 एवं प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा प्रदत्त वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन के आदेश एवं वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(5) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में राज्यपाल सचिवालय, राजभवन जयपुर के पत्रांक एफ.1(39)आरबी/1996 पार्ट 6378 दिनांक 21 अगस्त, 2019 में उल्लेखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र दिनांक 07.03.2019 के संबंध में शासन सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र दिनांक 02.08.2019 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक प.7(2)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 29.03.2019 में आरक्षण के प्रावधान अनुसार 100 बिन्दु रोस्टर निर्धारित किया गया है को तुंरन्त प्रभाव से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया जाता है। इस हेतु विश्वविद्यालय परिपत्र आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2019/16613 दिनांक 06.11.2019 जारी किया गया। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-8)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	

	(6) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 23.09.2019 की अनुपालना में डॉ0 रेणु पूनिया सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को महाविद्यालय के कार्य के अतिरिक्त महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड के पद का अतिरिक्त दायित्व आगामी आदेशों तक निर्वहन करने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक .एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/2019/13672-726 दिनांक 05.10.2019 की पुष्टि हेतु मद प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-9)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(7) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 03.10.2019 की अनुपालना में डॉ0 संजय जैन सह आचार्य (गणित) सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को महाविद्यालय के कार्य के अतिरिक्त महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के निदेशक (शोध) के पद का अतिरिक्त दायित्व आगामी आदेशों तक निर्वहन करने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/ मदसविवि/ 2019/13628-670 दिनांक 05.10.2019 की पुष्टि हेतु मद प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-10)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(8) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ. रमेश चन्द्र शर्मा, (सेवानिवृत्त प्राचार्य) हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हटुण्डी, अजमेर, निवासी 179-बी, आदर्श नगर, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19-11-2008 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 (73) संस्था/मदसविवि/2017/7071 दिनांक 12-04-2017 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में रूपये 20,000/- प्रति माह के मानदेय पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु कार्यग्रहण की दिनांक से 10 माह हेतु नियुक्ति प्रदान की गई । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2019/16404 दिनांक 02-11-2019 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-11)**	**संस्थापन**

निर्णय	**पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि उक्त के संबंध में राज्य सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाय ।**	
	(9) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशों एवं डीन कमेटी के आदेशों के क्रम में विश्वविद्यालय में स्वीकृत पद उपकुलसचिव, अनुभागाधिकारी, सहायक अनुभागाधिकारी एवं टेलीफोन ऑपरेटर के रिक्त पदों पर तथा विश्वविद्यालय में लेखा एवं वित्त संबंधित अंकेक्षण कार्यों हेतु श्री लालचंद मूंदड़ा सेवानिवृत वरिष्ठ लेखाधिकारी को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सलाहकार के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। इस क्रम में निम्न कार्यालय आदेश जारी किये गये:- 1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2019/15168 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा डॉ0 प्रकाश चन्द्र पंकज सेवानिवृत उपकुलसचिव को उपकुलसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध संविदात्मक नियुक्ति प्रदान की गई। **(परिशिष्ट-12)** 2. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/23753 दिनांक 29.09.2018 के द्वारा श्री लालचंद मूंदड़ा सेवानिवृत वरिष्ठ लेखाधिकारी की संविदात्मक आधार पर पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 15.07.2019 तक बढ़ाई गई। **(परिशिष्ट-13)** 3. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2019/2512 दिनांक 31.07.2019 के द्वारा श्री लालचंद मूंदड़ा सेवानिवृत वरिष्ठ लेखाधिकारी को सलाहकार (लेखा एवं वित्त) के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। **(परिशिष्ट-14)** 4. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/28172 दिनांक 27.11.2018 के द्वारा श्री रतन लाल शर्मा सेवानिवृत सहायक अनुभागाधिकारी को सहायक अनुभागाधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध संविदात्मक नियुक्ति प्रदान की गई। **(परिशिष्ट-15)** 5. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/2001 दिनांक 02.02.2019 के द्वारा श्री शरद कुमार गर्ग सेवानिवृत अनुभागाधिकारी को दीक्षान्त समारोह 2018, आयोजित करने हेतु संविदात्मक नियुक्ति प्रदान की गई। **(परिशिष्ट-16)** 6. कार्यालय आदेश क्रमांक एफं.1( )संस्था/मदसविवि/2018/23292 दिनांक 27.09.2018 के द्वारा श्री प्रकाश भंभानी सेवानिवृत सहायक अनुभागाधिकारी की संविदात्मक आधार पर पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ाई गई। **(परिशिष्ट-17)** 7. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2019/11646 दिनांक 21.08.2019 के द्वारा श्री चिरंजी लाल कीर सेवानिवृत	**संस्थापन**

	अनुभागाधिकारी को अनुभागाधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध संविदात्मक नियुक्ति प्रदान की गई एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2019/15491 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा संविदात्मक आधार पर पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 20.04.2020 तक बढ़ाई गई। **(परिशिष्ट-18 एवं 19)** 8. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2019/16286 दिनांक 01.11.2019 के द्वारा श्री अनिल कुमार ऐरन सेवानिवृत टेलीफोन ऑपरेटर को टेलीफोन ऑपरेटर के रिक्त पद के विरूद्ध संविदात्मक नियुक्ति प्रदान की गई। **(परिशिष्ट-20)** माननीय कुलपति महोदय एवं डीन कमेटी के उक्त आदेशों की पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	**पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि श्री लालचंद मूंदडा जो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की जाय ।**	
	(9) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नलिखित आचार्यों को एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से आचार्य पद पर स्थाई किया गया:- 1. प्रोफेसर अरविन्द पारीक आचार्य वनस्पतिशास्त्र-कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2018/1173 दिनांक 17-01-2019 द्वारा। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-21)** 2. प्रोफेसर सुभाष चन्द्र आचार्य प्राणीशास्त्र-कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था /मदसविवि/2018/1193 दिनांक 17-01-2019 द्वारा। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-22)** उपरोक्त आदेश प्रबंध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**अगली बैठक में रखा जाये ।**	
	(10) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2018/750 दिनांक 19.10.2018 द्वारा डॉ0 सतीश अग्रवाल प्रोफेसर प्रबंध अध्ययन विभाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत प्रकरण में रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन)	**संस्थापन**

	अधिनियम 2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट 290/18 दिनांक 15.10.2018 से न्यायिक अभिरक्ष में लिये जाने के कारण दिनांक 15.10.2018 से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय संभागीय आयुक्त कार्यालय, अजमेर किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-22-A)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(11) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2018/750 दिनांक 19.10.2018 द्वारा डॉ0 सतीश अग्रवाल प्रोफेसर प्रबंध अध्ययन विभाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत प्रकरण में रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) अधिनियम 2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट 290/18 दिनांक 15.10.2018 से न्यायिक अभिरक्ष में लिये जाने के कारण दिनांक 15.10.2018 से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। इस हेतु न्यायालय में पेश करने के लिये पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ए.सी.बी. रिपोर्ट संख्या 55 दिनांक 03.12.2018 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में चाही गई अभियोजन स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदान की गई जिसके लिये पत्र क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2019/16005 दिनांक 29.10.2019 जारी किया गया जिसकी पुष्टि हेतु मद प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-22-B)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गयी तथा उक्त प्रकरण की जांच हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः-** **1. प्रो. गंगा राम जाखड़, -संयोजक** **पूर्व कुलपति महाराजा गंगासिंह वि.वि, बीकानेर** **2. डॉ0. नगेन्द्र सिंह -सदस्य** **2. संकायाध्यक्ष, विधि -सदस्य** **3. कुलसचिव -सदस्य-सचिव**	
	(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 28.09.19 के क्रम में स्वीकृत पद सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता (प्रतिनियुक्ति) के रिक्त पदों पर संविदात्मक नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन, क्रमांक एफ-1 ( ) सस्था/मदसविवि/2019/3036 दिनांक 02.10.2019 जारी किया जिसके अन्तर्गत 02 सेवानिवृत अभियन्ताओं (सिविल एवं विद्युत) को नियुक्ति प्रदान की गईः- 1. श्री प्रदीप सारस्वत, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता(सिविल) को	**संस्थापन**

	संविदात्मक नियुक्ति हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांकएफ-1 ( ) सस्था/मदसविवि//2019/14863 दिनांक 14.10.2019 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-29)** 2. श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता सेवानिवृत सहायक अभियन्ता(विद्युत) को संविदात्मक नियुक्ति हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांकएफ-1 ( ) सस्था/मदसविवि/2019/16306 दिनांक 01.11.2019 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-30)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी । विश्वविद्यालय अभियंता पदनाम रखा जावे एवं योग्यतम विश्वविद्यालय अभियंता के चयन हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया जाता है । साथ ही फील्ड कार्य होने के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति से पृथक रखा जाये।**	
	(13) <u>प्रतिवेदन है कि</u> कर्मचारियों के निवेदन पर माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 05.11.19 के द्वारा आदेशित किया गया कि विश्वविद्यालय का कार्यालय समय प्रातः 10:30 से सांय 5:00 बजे तक रहेगा। कार्यालय समय के दौरान पूर्व की भांति आधा घण्टे का लंच ब्रेक यथावत रहेगा। प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को होने वाला अवकाश निरस्त किया जाता है। माननीय कुलपति महोदय द्वारा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से वार्ता पश्चात् द्वितीय शनिवार के एवज में देय अवकाश को समायोजित करने की कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में कार्यालय आदेश क्रमांक 16689 दिनांक 06.11.19 जारी किया गया। माननीय कुलपति महोदय के आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-31)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पूर्व की भांति राजभवन से अनुमोदित अवकाश कलैण्डर विश्वविद्यालय पर लागू रहेगा तथा द्वितीय शनिवार का अवकाश रहेगा।**	
	(14) <u>प्रतिवेदन है</u> कि प्रबन्ध बोर्ड की 94 वीं बैठक दिनांक 30 जून, 2018 के कार्यवृत के निर्णय संख्या 35 की अनुपालना में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव एवं उपकुलसचिव के कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को आन्तरिक पदोन्नति प्रक्रिया से भरे जाने हेतु नियम एवं पात्रता का निर्धारण करने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक क्रमांक एफ-1 ( ) सस्था /मदसविवि/2019/16854-60 दिनांक 11.07.2018 एवं क्रमांक एफ-1 ( ) सस्था/मदसविवि/2019/3333-37 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा समिति गठित की गई थी। उक्त समिति की बैठकें दिनांक 27.09.2018, 05.02.2019, 15.11.2019 एवं 22.11.2019 को आयोजित की गई। विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को आन्तरिक पदोन्नति प्रक्रिया से भरे जाने हेतु समिति द्वारा कार्यवृत में की गई	**संस्थापन**

	अनुशंषा प्रबन्ध बोर्ड के प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-32)**	
निर्णय	**समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई इस हेतु वर्तमान में उप कुलसचिव के 05 रिक्त पदों के 50 प्रतिशत अर्थात 02 पदों व सहायक कुलसचिव के 02 रिक्त पदों का 50 प्रतिशत अर्थात 01 पद पर पदोन्नति कार्यवाही पूर्ण की जावे। इस हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है।**	
	(15) <u>प्रतिवेदन है</u> कि कार्यालय आदेश क्रमांक क्रमांक एफ-1 ( )संस्था/ मदसविवि/2019/18931 दिनांक 16.11.2019 के द्वारा शैक्षणिक संवर्ग का रोस्टर बनाने हेतु समिति गठित की गई थी। समिति की बैठक दिनांक 23.11.2019 को शैक्षणिक संवर्ग का रोस्टर परिपत्र क्रमांक क्रमांक एफ-1 ( ) सस्था/मदसविवि/2019/16614-54 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) के पत्र दिनांक 02.08.2019 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.03.2019 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त मान्य करते हुए समिति द्वारा तैयार किया गया रोस्टर प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रतिवेदित है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-33)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 6	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में परीक्षात्मक कार्यो में लगे हुए यथा-परीक्षा, गोपनीय, नामांकन, उपाधि इत्यादि अनुभागों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के शेष रहे अनुभागों/ विभागों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी दो माह के मूल वेतन (नये वेतनमान के अनुसार) के बराबर मानदेय/पारिश्रमिक दिया जाता है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-23)** विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक संवर्ग में 335 पद स्वीकृत है जिसकी तुलना में वर्तमान में 260 अशैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है अर्थात वर्तमान में 75 पद रिक्त है । गत वर्षो में बडी संख्या में कर्मचारियों/ अधिकारियों के सेवानिवृत होने या दिवंगत होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है । अर्थात स्वीकृत 335 कार्मिकों की तुलना में 260 कार्मिकों को ही रिक्त पदों के हिस्से का कार्य अतिरिक्त प्रभार के रूप में कमोवेश करना होता है, जिस हेतु कार्मिकों को कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् तथा अवकाश के दिनों में भी विश्वविद्यालय के समस्त महत्वपूर्ण कार्यो को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से करना होता है, जिसके एवज में इन	**संस्थापन**

	कार्मिकों को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है । उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय में भी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी शामिल करते हुए) जो कि परीक्षा, गोपनीय, नामांकन, रोकड़ प्राप्ति, उपाधि तथा पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग के अतिरिक्त शेष अनुभागों/विभागों में कार्यरत है, को दो माह (माह जुलाई के वेतन को आधार मानकर) के मूल वेतन (नये वेतनमान के अनुसार) के बराबर मानदेय के रूप में सत्र 2019-20 से दिये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर मद आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 7	राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (6) एफडी/रूल्स/2011 जयपुर दिनांक 22.05.2018 जो कि Insertion of new rule 103 C "103C, Child Care Leave" से संबंधित है, को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रवृत्त मान्य करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-24)**	**संस्थापन**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं. 8	राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) द्वारा जारी स्पष्टीकरण क्रमांक एफ 14 (88)एफडी/रूल्स/2008 जयपुर दिनांक 12.01.2018 जो कि Clarification for grant of Assured Career Progression Scheme to State Government Employees से संबंधित है, को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रवृत्त मान्य करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-25)**	**संस्थापन**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं. 9	विश्वविद्यालय में अनुभागाधिकारी/सहायक अनुभागाधिकारी/वरिष्ठ लिपिक को वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तथा वर्ष 2005 से आगामी वर्षों के रिक्त पदों से संबंधित प्रकरण मद संख्या 39 व मद संख्या 04	**संस्थापन**

द्वारा क्रमशः प्रबंध बोर्ड की 85वीं (दिनांक 23-12-2014) व 86वीं बैठक (दिनांक 09-06-2015) में विचारार्थ व निर्णयार्थ रखे गये लेकिन दोनों ही बैठकों में इसे अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्थगित किया गया।

उक्त प्रकरण के संबंध में लेख है कि:-

प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 08-01-2010 के निर्णय संख्या 21 के अनुसार वर्ष 2005 में वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक की अवधि में रिक्त रहे अनुभागाधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यता अनुसार) विभागीय पदोन्नति समिति और 34 प्रतिशत पदों पर (योग्यता कम वरीयता अनुसार) विभागीय चयन समिति आयोजित करके वर्षवार पदोन्नति के स्थान पर वर्ष 2005 से पदोन्नति दिये जाने के कारण इस अवधि (वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक) में रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाये तथा यह भी निर्णय किया कि एरियर का भुगतान नहीं किया जाये तथा वर्ष 2005-2006 से वर्षवार पदोन्नति की जावे।

उक्त निर्णय अनुसार निम्नांकित कार्यवाही होनी थी:-

(क) वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 से आगामी वर्षों में 66 प्रतिशत कोटा में रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति करके वर्षवार पदोन्नति।

(ख) वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 से आगामी वर्षों में 34 प्रतिशत कोटा में रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति करके वर्षवार पदोन्नति।

<u>66 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत की गई डी0 पी0 सी0 का उल्लेखः-</u>

(क) अनुभागाधिकारी/सहायक अनुभागाधिकारी के 66 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों पर वर्षवार पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2015-2016 तक पूर्ण हो चुकी है एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् पदोन्नति कार्यालय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(ख) वरिष्ठ लिपिक के 66 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत रिक्त पदों पर वर्षवार पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2012-2013 तक पूर्ण हो चुकी है व माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् कार्यालय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

34 : कोटे के अंतर्गत की गई कार्यवाही (डी.एस.सी. का उल्लेख):-

1. वर्ष 2006 में दिनांक 09-01-2006 को वर्ष 1997-98 के 34 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत रिक्त सहायक अनुभागाधिकारी के पदों पर विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस समिति की बैठक में जो रोस्टर उपयोग में लिया गया उसके अनुसार एक अनुसूचित जनजाति एवं एक सामान्य वर्ग का पद रिक्त था और इन पदों पर एक सामान्य व एक अनुसूचित जनजाति के कार्मिक की पदोन्नति की अनुशंषा की गई थी। इसके आधार पर इन दोनों कार्मिकों का दिनांक 10-01-2006 से वेतन नियतन किया जाकर इन्हें वित्तीय लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

2. वर्ष 2010 में दिनांक 29-09-2010 को पुनः 34 प्रतिशत कोटे के सहायक अनुभागाधिकारी के रिक्त पदों पर चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वर्ष 1991 के एक एस0 सी0 केटेगरी के रिक्त पद व 1997-98 के अनारक्षित पद को एक साथ करते हुए वर्ष 1997-98 से एक अनारक्षित एवं एक एस0 सी0 के पद पर क्रमशः सामान्य व अनुसूचित जाति के कार्मिक को पदोन्नति दी गई। इसके आधार पर सामान्य वर्ग के कार्मिक को दिनांक 31-03-1998 से नोशनल फिक्सेशन का बेनिफिट एवं दिनांक 09-10-2010 कार्य ग्रहण दिनांक से वित्तीय लाभ दिया गया है। दूसरे अनुसूचित जाति के कार्मिक को 31-03-1998 से नोशनल फिक्सेशन का बेनिफिट एवं ज्वाइनिंग की दिनांक 12-12-2005 से वित्तीय लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

3. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20 मार्च, 2006 की अनुपालना में वरिष्ठ लिपिक के 34 प्रतिशत कोटे के रिक्त पदों पर 04 कार्मिक (02 अनुसूचित जाति, 02 अनुसूचित जनजाति को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत किया गया। इनकी चयन प्रक्रिया भी पुनरीक्षित होनी है।

विवादित बिन्दुः-

1. सहायक हेतु की गई दोनों चयन समिति की बैठकों से स्पष्ट है कि वर्ष 1997-98 के सहायक अनुभागाधिकारी के दो रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु दो बार वर्ष 2006-07 में दिनांक 09-01-2006 व वर्ष 2010 में दिनांक

29-09-2010 को विभागीय चयन समिति की बैठकें आयोजित की गई व अलग-अलग कार्मिकों को पदोन्नति दी गई।

2. दिनांक 04-10-2013 को वर्ष 1997-98 से 2012-2013 तक की वर्षवार 66: कोटे के अंतर्गत सहायक अनुभागाधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु जो रोस्टर काम में लिया गया है उसके अनुसार वर्ष 1997-98 में 34 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत सहायक अनुभागाधिकारी का एक भी पद रिक्त नहीं है।

3. दिनांक 29-09-2010 को की गई सहायक अनुभागाधिकारी पद की विभागीय चयन समित को प्रबंध मण्डल की पुष्टि हेतु तीन बार दिनांक 26-03-2011, दिनांक 08-08-2011, दिनांक 23-02-2012 को प्रबंध मण्डल की बैठक में रखा गया एवं इस मद को प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक हेतु स्थिगित किया गया। तत्पश्चात प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 23-12-2014 के द्वारा याचिका क्रमांक 13926/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन पुष्टि की गई। प्रकरण प्रबंध बोर्ड की 86वीं बैठक में पुनः रखा गया व इसे आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया। जबकि इससे पूर्व दिनांक 09-01-2006 को हुये चयन को अभी प्रबंध बोर्ड के निर्णय हेतु लंबित रखा गया है।

अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय करनाः-

(अ) सहायक अनुभागाधिकारी व वरिष्ठ लिपिक के 34 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों की गई पदोन्नति की अनुशंषाओं पर विचार, कर निर्णय करना ताकि विसंगति को दूर किया जा सके।

(ब) दिनांक 08-01-2010 के निर्णय में वर्षवार विभागीय चयन समिति की बैठकें अब करके भूतलक्षी प्रभाव से वर्षवार चयन 34 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत किया जाना व्यवहारिक एवं विधिसम्मत प्रकट नहीं होता क्योंकि नियुक्ति/चयन पूर्व प्रभाव से नहीं होता तथा तत्समय जो व्यक्ति इस कोटा के योग्य थे वे सेवानिवृत्त या पदोन्नत हो चुके हैं यदि वे तत्समय आवेदक बनते तो उनका पदोन्नति कोटा में आने या नहीं आने से पहले चयन हो सकता

	था। इस निर्णय पर पुनर्विचार करके उपयुक्त निर्णय प्रदान करना जिससे कि 34 प्रतिशत अभ्यांश के रिक्त पदों को भरा जा सके। (स) वरिष्ठ लिपिक/सहायक/लेखाकार/अनुभागाधिकारी के पद जो आंतरिक कर्मियों से 02 माध्यमों (66 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति समिति से 34 प्रतिशत पद विभागीय चयन समिति) से भरे जाते हैं, उन प्रक्रियाओं में होने वाली जटिलताओं, आंशकाओं, विवादों एवं विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए, शत-प्रतिशत पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने पर विचार कर निर्णय करना एवं वित्तीय वर्ष 2016-2017 से तदनुसार पदोन्नति नियमों को संशोधित करने पर विचार करना जिससे कि समय रहते हुए आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति दी जा सके तथा रिक्त पदों के समाप्त होने की संभावना समाप्त हो सके। इस संबंध में तथ्यात्मक विवरण **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-26)** पर स्थित है। **निर्णय लिया कि वर्ष 1997-98 से 2015-16 तक 34: कोटे के अन्तर्गत आयोजित सभी डी.एस.सी. से सम्बन्धित विवादित मुददे निर्णय सं.9 के अनुसार गठित समिति में रखे जावें। वर्ष 1997-98 से 2015-16 तक के 34: कोटे के रिक्त पड़े वरिष्ठ लिपिक/सहायक अनुभाग अधिकारी व अनुभाग अधिकारी के पदों को इकजाई करते हुए वर्ष 2016-17 में डी.एस.सी. आयोजित की जावे। वर्ष 2017-18 से समस्त पद 100: वरिष्ठता सह योग्यता से भरे जावे। इस हेतु नियमों में संशोधन किया जावे।** गठित समिति के द्वारा उक्त प्रकरण में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अतः मद पुनः प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
	उक्त के संबंध में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:- **1. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ — संयोजक** **2. कुलसचिव — सदस्य** **3. डॉ0 प्रकाश पंकज — सदस्य** **4. वरिष्ठ लेखाधिकारी — सदस्य** **5. उप कुलसचिव-संस्थापन — सदस्य-सचिव**	
मद सं. 10	सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1 (ए) (4)आरबी/2019/5018 दिनांक 03 जुलाई, 2019 **(कार्यसूची का**	**संस्थापन**

	परिशिष्ठ-26-A) जिसके तहत राज्य के अधीन बोर्ड/निगम/अन्य स्वायत्तशाषी संस्था में रूपये 3600/- या उससे कम ग्रेड-पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से करवाये जाने हेतु निर्देशित किया है कि विश्वविद्यालय के Governing Body/BOM से अनुमोदित कराकर की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को अविलम्ब अवगत कराये जाने का श्रम करावें ताकि तद्नुसार माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को अवगत कराया जा सके । इस क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2019 11851-852 दिनांक 16.09.2019 को प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा चुका है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-27)** उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस/स्टेट्यूटस में संशोधन करने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त पदों पर पूर्व की भांति विश्वविद्यालय नियमानुसार भर्ती किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 11	डॉ. सतीश अग्रवाल, प्रोफेसर प्रबंध अध्ययन विभाग को दिये गये आरोप पत्रों एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/कु.स.-48/3079-80 दिनांक 06-11-2008, एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/कु.स.-46/8082-83 दिनांक 07-11-2008, एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2008/कु.स. -48/53609-10 दिनांक 25-11-2009 एवं एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2009/कु.स.-48/56158-59 दिनांक 29-12-2009 द्वारा प्रोफेसर सतीश अग्रवाल से स्पष्टीकरण मांगा गया था । प्रोफेसर अग्रवाल ने आरोप पत्रों के सम्बन्ध अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार आरोप पत्रों के प्रत्युत्तर में प्राप्त स्पष्टीकरण एवं अभिलेख के आरापों की जांच हेतु विश्वविद्यालय के आचरण एवं अनुशासन नियम के भाग B-DISCIPLINE के प्रावधान IV Procedure for Imposing Penaltiè की उपधारा 15 (3) के तहत जाँच समिति का गठन किया गया एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 संस्था/मदसविवि/2017/144 दिनांक 20/21-04-2017 द्वारा जांच समिति का पुनर्गठन किया गया । जांच समिति ने अनुशंषा की कि प्रोफेसर सतीश अग्रवाल के विरूद्ध चारों आरोप पत्र मान्य नहीं है । माननीय कुलपति महोदय ने जांच समिति की अनुशंषा के आधार पर प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )	**संस्थापन**

	संस्था/ मदसविवि/ 2017 / 2077-81 दिनांक 01-06-2017 जारी किया गया । प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 05-12-2017 के मद संख्या 7 में निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्य प्रस्तुत नहीं होने के कारण मद पर कार्यवाही नहीं की जा सकती साथ ही प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय किया की यदि प्रकरण में कुलपति महोदय सक्षम है तो कुलपति महोदय अपने स्तर पर कार्यवाही करें । प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष मद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण में विधिक परामर्शदाता की राय के अनुसार एक प्रोफेसर के विरूद्ध लगे आरोपों के सम्बन्ध में निर्णयात्मक कार्यवाही के लिये प्रबन्ध बोर्ड सक्षम है तथा विधिक परामर्शदाता द्वारा चारों आरोप पत्रों के क्रम में तथ्यात्मक संक्षिप्त विवरण (अभिलेख के आधार पर) प्रस्तुत किया है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-28)**	
निर्णय	**मद संख्या 09 पर गठित समिति उक्त प्रकरण को देखेगी ।**	
मद सं. 12	**<u>प्रबंध बोर्ड की 90वीं बैठक दिनांक 29.08.2016 के मद संख्या 16 पर पूर्व में प्रेषित मदः-</u>** विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे सहायक कर्मचारी जिन्हें स्थिर वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 6.12.1995 से न्यूनतम वेतन एवं नियमानुसार देय अन्य भत्तों पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, के द्वारा नियुक्ति दिनांक 6.12.1995 से 9, 18 एवं 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किये जाने हेतु सहायक कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है । **इस संबंध में पूर्व में प्रबंध मंडल द्वारा पारित निर्णय निम्नानुसार हैं-** (अ) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 06.12.95 के मद संख्या 27 के निर्णयानुसार दिनांक 31 मई, 1994 तक सहायक कर्मचारी पद पर स्थिर वेतन के आधार पर रखे गये कर्मचारियों को दिनांक 06.12.95 से इनके पदो के लिए स्वीकृत वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान रू. 750-940 एवं नियमानुसार देय अन्य भत्ते दिये जाने के आदेश के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/ मदसविवि /95/17526 दिनांक 15.12.95 जारी किया गया ।	**संस्थापन**

इन कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी । नियमित पद उपलब्ध होने पर इन कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर समायोजित किया जायेगा जो नियुक्ति या पदोन्नति नहीं मानी जायेगी । समायोजन की दिनांक से नियमित रूप से सेवारत माने जायेगें ।

(ब) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2005 के निर्णय संख्या 17/27 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2005/1282 दनांक 16.07.2005 के तहत विश्वविद्यालय में न्यूनतम वेतनमान एवं उस पर देय अन्य भत्ते प्राप्त करने वाले कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के आदेश किये गये। इन कार्मिकों को किसी तरह का एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही इनका नोशनल फिक्सैशन किया जावेगा। यदि ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समीक्षा करने पर संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो इन्हें नोटिस देकर कार्यमुक्त कर दिया जावेगा । ये आदेश दिनांक 01.07.2005 से प्रभावी होंगे।

उपरोक्त कार्मिकों को प्रबन्ध मंडल के निर्णय के अध्यधीन नियमित पद उपलब्ध होने पर वरियता के आधार पर समायोजित किया जायेगा । इस समायोजन को नियुक्ति या पदोन्नति नहीं माना जायेगा । समायोजन की दिनांक से इन्हें नियमित रूप से सेवारत माना जायेगा ।

(स) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया जा चुका है कि किसी भी कर्मचारी को उसके नियमित होने की तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है, अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ।

चूँकि इन कार्मिकों को चयनित वेतनमान के अलावा उपरोक्त निर्णयों के आधार पर नियमित कार्मिकों की भाँति समस्त परिलाभ (वेतनवृद्धि, डी.ए. /मकान किराया भत्ता, समस्त प्रकार के अवकाश, भवन निर्माण एवं वाहन अग्रिम एवं अन्य देय परिलाभ) दिये जा रहे हैं।

अतः सहायक कर्मचारियों की मांग पर विचार करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में रखे जाने हेतु मद निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2005 के निर्णय संख्या 17/27 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में न्यूनतम वेतनमान एवं

	उस पर देय अन्य भत्ते प्राप्त करने वाले कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ । 2. इन कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्थिति में किसी तरह के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही इनका नोशनल फिक्सैशन किया जावेगा । यदि ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समीक्षा करने पर संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो इन्हें नोटिस देकर कार्यमुक्त कर दिया जावेगा। ये आदेश दिनांक 01.07.2005 से प्रभावी होंगे, यथावत् लागू रहेंगें । उपरोक्त कार्मिकों को प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के अध्यधीन नियमित पद उपलब्ध होने पर वरियता के आधार पर समायोजित किया जायेगा । इस समायोजन को नियुक्ति या पदोन्नति नहीं माना जायेगा । समायोजन की दिनांक से इन्हें नियमित रूप से सेवारत माना जायेगा। **निर्णय सं0 9 में गठित समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।** गठित समिति के द्वारा उक्त प्रकरण में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अतः मद पुनः प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण में निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः-** **1. प्रो. शिव प्रसाद — संयोजक** **2. लेखाधिकारी — सदस्य** **3. उप कुलसचिव संस्थापन — सदस्य-सचिव**	
मद सं. 13	स्पोर्टस बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 का कार्यवृत प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-34)**	**स्पोर्टस बोर्ड**
निर्णय	**कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं. 14	विद्या परिषद की 60 वीं बैठक दिनांक 26.11.2019 के कार्यवृत पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-35)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**कार्यवृत्त का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि मद संख्या 07 के निर्णय में केवल बी.एससी का कोर्स प्राइवेट नहीं हो सकेगा ।**	
मद सं. 15	प्रबन्ध बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 13.10.2008 के मद संख्या 02 के	**संस्थापन**

	निर्णय एवं प्रबन्ध बोर्ड की 63वीं बैठक मद संख्या 03 के निर्णय संख्या 32 की पालना में, जिसमें डॉ0 सतीश अग्रवाल के संबंध में ऑडिट पैरा को ड्राप कराने हेतु उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 30.06.2007 की प्रति एवं राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर की प्रति कुलसचिव ने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें निर्णय लिया गया कि डॉ0 अग्रवाल इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति के समय विज्ञापित योग्यता पूरी करते थे अथवा नहीं और क्या प्रबंध बोर्ड ने विज्ञापति योग्यता में कोई शिथिलता प्रदान की है? इसका परीक्षण करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 33692-97 दिनांक 09.07.2008 के तहत गठित समिति एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 33586 दिनांक 01.07.2009, 18691 दिनांक 27.08.2014 एवं 28062 दिनांक 03.11.2016 द्वारा समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया:-	

क्र.सं.	संरचना	सदस्य
1	प्रबन्ध बोर्ड पर कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद्-संयोजक	डॉ0 पी.के.शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, 113, राजेन्द्र नगर, भरतपुर
2	प्रबन्ध बोर्ड पर राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद्	श्री भरत राम कुम्हार, गॉव-पोस्ट- बूकना, तह0-सपोटरा, जिला-करौली
3	एक शिक्षक प्रबन्ध अध्ययन विषय	प्रो0 मनोज कुमार, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, मदसविवि,अजमेर
4	एक शिक्षक विधि विषय	प्रो0 के.एल.शर्मा, पूर्व प्रोफेसर विधि, 22, सुधानगर कॉलोनी, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर
5	वित्त नियंत्रक	वित्त नियंत्रक, मदसविवि,अजमेर
6	कुलसचिव-सदस्य सचिव	कुलसचिव, मदसविवि,अजमेर

	विगत लगभग 10 वर्षों से कार्य में प्रगति होना दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण नई समिति के गठन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**मद संख्या 09 में गठित समिति उक्त प्रकरण को देखेगी ।**	
मद सं. 16	परीक्षा 2020 के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 16.11.2019 के द्वारा गठित "परीक्षा सलाहकार बोर्ड" Examination Advisory Board की बैठक दिनांक 18.11.2019 के कार्यवृत पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-36)**	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**कार्यवृत्त का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि सत्र 2019-20 से विद्यार्थी बी.एससी कोर्स स्वयंपाठी छात्र के रूप में नही कर पायेंगे । "परीक्षा सलाहकार बोर्ड" का नाम "परीक्षा सलाहकार समिति" रखा जावे।**	

मद सं. 17	वित्त समिति की 36वीं बैठक 08.11.2019 की कार्यसूची एवं कार्यवृत पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्य सूची का परिशिष्ट-37)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं. 18	माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक15.10.2019 की अनुपालना में वित्त समिति में प्रबन्ध बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में प्रो0 शिवदयाल सिंह विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, म.द.स.विश्वविद्यालय अजमेर को सदस्य मनोनीत किया गया। माननीय कुलपति महोदय के आदेश क्रमांक एफ-6 (1) विविले-I/ मदसविवि/2019/16398 दिनांक 02.11.19 की पुष्टि करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-38)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	

कुलपति

कुलसचिव